प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**–ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या .....286/2023 **दिनांक**.....2/11/2023
2. (1) **अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा–7,8,12**
(2) **अधिनियम– भारतीय दण्ड सहिंता** .....**धारा – 120 बी**
(3) **अधिनियम**.....**धारायें** –.....
(4) **अन्य अधिनियम धारायें**.....
3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**.....34.....**समय**.....6:00 PM.....
(ब) अपराध घटने का दिन ... बृहस्पतिवार....दिनांक....मई,2023 से अगस्त,2023 तक (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 07.08.2023 समय 11.50 ए.एम.
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक** – **हस्तलिखित** रिपोर्ट
5. **घटना स्थलः**– आर.टी.ओ. कार्यालय, कोटा
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब पूर्व व 04 कि.मी.
(ब) 'पताः– आर.टी.ओ. कार्यालय, कोटा
जरायम देही संख्या.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना –
6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
(अ) नामः– श्री विजय सिंह
(ब) पिता का नाम – श्री रामस्वरुप
(स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 47 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या.....**जारी होने की तिथी**.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय–व्यवसाय
(ल) पता – ग्राम बारी का बास, तहसील चिडावा, जिला झुंझनु, हाल उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि. ब्यूरो, कोटा देहात
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**

(1) श्री अब्दुल कलाम पुत्र स्व. श्री पीर खां, जाति मुसलमान, उम्र 59 साल निवासी रुकसाना जी का मकान, रामतलाई कच्ची बस्ती, सूरजपोल गेट कोटा हाल वरिष्ठ सहायक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा
(2) श्री अरविंद सिंह राठौड पुत्र श्री रणवीर सिंह राठौड, जाति राजपूत, उम्र 47 साल, निवासी प्लॉट नम्बर 17,18 चिन्कारा कॉलोनी, ग्रीन खातीपुरा एवेन्यू के पीछे, जयपुर हाल परिवहन निरीक्षक (पूर्व कार्यवाहक जि.प.अ. कोटा) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा
(3) श्री राकेश मीणा पुत्र श्री जानकी लाल मीणा जाति मीणा, उम्र 42 साल, निवासी 4,नं. 318 लक्ष्मण मार्ग, सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक, कोटा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा
(4) श्री कृष्णकांत सक्सेना पुत्र स्व. श्री नारायण स्वरुप सक्सेना, जाति कायस्थ, निवासी 902, शास्त्री नगर दादाबाडी, कोटा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–**..... शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....25000/– रूपये.....
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**.....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–**

श्रीमान, प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.08.2023 को समय 11:30 ए.एम. पर डा. श्रीमति प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा देहात द्वारा मन विजय सिंह उप अधीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर, वहां पूर्व से बैठे हुए परिवादी श्री अब्दुल कलाम पुत्र श्री पीर खां उम्र 59 साल जाति मुसलमान निवासी रामतलाई सूरजपोल गेट थाना कैथूनीपोल जिला कोटा शहर हाल वरिष्ठ सहायक, आर.टी.ओ. कार्यालय, डीसीएम रोड कोटा से परिचय करवाया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत एक हस्तलिखित प्रार्थना–पत्र सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी को अपने कक्ष में लाया तथा परिवादी द्वारा पेश

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जो इस आशय का था कि "मैं रामतलाई सूरजपोल गेट कोटा का निवासी हूं, वर्तमान में आर.टी.ओ. कोटा में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूं। मेरे पास दिनांक 31.05.23 से दुपहिया वाहनों का पंजीयन व हस्तांतरण सम्बंधी कार्य व अन्य कई कार्य थे, दिनांक 31.07.23 को उक्त कार्यो को कम कर केवल एम.सीरीज दुपहिया वाहनों के स्वामित्व अंतरण, लोन चढाना, हटाना व नोका शाखा फिटनेस व लाईसेंस सम्बंधी कार्य ही मेरे पास रहने दिया गया, जिसके 31.07.2023 एवं उससे पूर्व के 20 दुपहिया वाहनों के एस. सीरीज के ट्रांसफर के फोल्डर पेण्डिंग है, उनकी लिस्ट बनाकर मैं आपको पेश कर रहा हूं। उक्त फोल्डरो को श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक (कार्यवाहक डी.टी.ओ.) द्वारा एप्रूवल किया जाना हैं, परंतु श्री अरविंद सिंह जी उक्त 20 फोल्डरो को एप्रूव करने की एवज में मुझसे 10,000 रुपये रिश्वती राशि की मांग श्री राकेश मीणा सहा. प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से कर रहे हैं तथा मेरे अन्य कामों को भी अटका रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास पहले जो दुपहिया वाहनों के पंजीयन का काम तथा अन्य काम थे वही काम वापस देने तथा पूर्व में किए गए कार्य की एवज में 15,000 रुपये रिश्वती राशि की मांग श्री अर्जुन सिंह राठौड, आर.टी.ओ. सा. द्वारा उनके पी.ए. श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहा. प्रशासनिक अधिकारी के मार्फत की जा रही है। मैं उक्त आरोपीगण को रिश्वत नही देना चाहता हूं और आरोपीगण को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी आरोपीगण से कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार का लेन–देन बकाया है। आरोपीगण के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र तथा परिवादी की दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया। समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम ने बताया कि आरोपीगण अब जब भी मुझे रिश्वती राशि के सम्बंध में बातचीत हेतु बुलाएगें तो मैं आपके कार्यालय में उपस्थित होकर या जर्ये मोबाईल आपको सूचित कर दूंगा, इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री कलाम उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि आरोपी श्री राकेश मीणा अपनी सीट पर बैठा है, वह अब मुझसे रिश्वत सम्बंधी वार्ता कर लेगा। इस पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री अब्दुल कलाम को सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को चलाना व बंद करना समझाया गया। आटीओ कार्यालय पहुंचकर आरोपीगण से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री असलम खान सउनि को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी कलाम व श्री असलम खान सउनि को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। समय 05.50 पी.एम पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम तथा श्री असलम खान सउनि उपस्थित कार्यालय आए। परिवादी ने कहा कि मैं तथा श्री असलम खान सउनि रवाना होकर थोडी देर बाद आर.टी.ओ. कार्यालय, डीसीएम, रोड कोटा पहुंच गए थे। जहां कार्यालय से थोडा पहले मैं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपीगण से रिश्वत मांग की वार्ता करने हेतु चला गया था, श्री असलम जी वही कार्यालय के पास अपनी उपस्थित छिपाते हुए रुक गए थे। मैं कार्यालय के अन्दर गया तो आरोपी श्री राकेश मीणा कार्य में व्यस्त था कई लोग आ–जा रहे थे, अतः कुछ देर बात नही हो पाई बाद में आरोपी से रिश्वती राशि के सम्बंध में बात हुई तो आरोपी ने कहा कि बाहर चाय वाले को दे दो मैं कार्यालय में अपनी जेब में पैसे नही रखता। इस पर मैं रवाना होकर कार्यालय के बाहर आ गया था तथा मौका देखकर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को बंद कर लिया था तथा श्री असलम जी के पास आकर सारी बात बताई थी। इस पर हम दोनो रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गए। श्री असलम खान सउनि ने परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुना गया व आलमारी में लॉक लगाकर सुरक्षित रखवाया गया। फर्द प्राप्ती डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए।

दिनांक 08.08.2023 समय 09.45 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि अन्य आरोपीगण अब मुझसे रिश्वत सम्बंधी वार्ता कर लेंगे। समय 09.50 ए.एम. पर आलमारी में लॉक लगाकर सुरक्षित रखे गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकालकर परिवादी श्री कलाम को सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाना व बंद करना पुनः समझाया गया। आटीओ कार्यालय डीसीएम रोड, कोटा पहुंचकर आरोपीगण से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री असलम खान सउनि को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी कलाम व श्री असलम खान सउनि को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। समय 11.20 ए.एम पर परिवादी श्री कलाम तथा श्री असलम खान सउनि उपस्थित कार्यालय आए। परिवादी श्री अब्दुल कलाम ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया तथा बताया कि मैं तथा श्री असलम खान सउनि रवाना होकर थोडी देर में आर.टी.ओ. कार्यालय, डीसीएम, रोड कोटा पहुंच गए थे। जहां कार्यालय से थोडा पहले मैं डीजिटल

वाईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपीगण से रिश्वत मांग की वार्ता करने हेतु कार्यालय में चला गया था, श्री असलम जी वही कार्यालय के पास अपनी उपस्थित छिपाते हुए रुक गए थे। मैं कार्यालय के अन्दर गया तो आरोपी श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जो वर्तमान में आर.टी.ओ. साहब के पी.ए. हैं, मुझे वहीं पर मिल गए, जिनसे रिश्वती राशि के सम्बंध में बात हुई तो आरोपी ने मुझसे दस हजार रुपये ले लिए तथा शेष 5,000रु बाद में लेने हेतु सहमत हुआ। परंतु मुझे नया काम देने के लिए किसी का फोन करवाने की कहा। इस पर मैं रवाना होकर कार्यालय के बाहर आ गया था तथा मौका देखकर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को बंद कर लिया था तथा श्री असलम जी के पास आकर सारी बात बताई थी। इस पर हम दोनो रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गए। श्री असलम खान सउनि ने परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर चालू कर सुना जाकर आलमारी में लॉक लगाकर सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी को हिदायत दी की अन्य आरोपीगण जब भी रिश्वती राशि की मांग करे तो आप हमें तुरंत सुचित करें। फर्द प्राप्ती डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए।

दिनांक 18.08.2023 समय 09.54 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक द्वारा श्री असलम खान सउनि के मोबाईल नम्बर 9269529798 से परिवादी श्री अब्दुल कलाम के मोबाईल नम्बर 9928665972 पर व्हाट्सएप कॉल करवाकर वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि आज आरोपी श्री अरविंद परिवहन निरीक्षक (कार्यवाहक डीटीओ कोटा) से रिश्वत सम्बंध बातचीत हो जाएगी। आप 11–11.30 बजे करीब हमारे कार्यालय में डीजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर आ जाना। समय 11.15 ए.एम. पर श्री अब्दुल कलाम से हुई वार्तानुसार आलमारी में लॉक लगाकर सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री असलम खान सउनि को सुपुर्द कर आटीओ कार्यालय डीसीएम रोड, कोटा पहुंचकर परिवादी श्री अब्दुल कलाम से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री असलम खान सउनि को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। श्री असलम खान सउनि को मय डीवीआर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 12.00 पी.एम पर परिवादी श्री कलाम तथा श्री असलम खान सउनि उपस्थित कार्यालय आए। परिवादी ने डी.वी.आर. सुपुर्द कर बताया कि श्री असलम खान सउनि मुझे हमारे आरटीओ कार्यालय के पास मिल गए थे, जहां हमारे कार्यालय से थोडा पहले मैं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपीगण से रिश्वत मांग की वार्ता करने हेतु हमारे कार्यालय में चला गया था, श्री असलम जी वही कार्यालय के पास अपनी उपस्थित छिपाते हुए रुक गए थे। मैं कार्यालय के अन्दर गया तो आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक मुझे उनके कमरे में मिल गए, जिनसे रिश्वती राशि के सम्बंध में बात हुई तो आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक ने मुझसे कहा कि आप पैसों की व्यवस्था करो, मैं आपके पेंडिग 20 फोल्डरों को अप्रूव कर दूंगा और रिश्वती राशि आप राकेश या गोपाल किसी को दे देना। इस पर मैं रवाना होकर कार्यालय के बाहर आ गया था तथा मौका देखकर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को बंद कर लिया था तथा श्री असलम जी के पास आकर डीजीटल वाईस रिकॉर्डर उनको सुपुर्द कर सारी बात बताई थी। इस पर हम दोनो रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गए। श्री असलम खान सउनि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के कथनों की ताईद की। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना तो श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अब्दुल कलाम से उसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य के 20 फोल्डरों को एप्रूव करने की एवज में रिश्वती राशि की मांग कर अपने कार्यालय के श्री राकेश मीणा या गोपाल को देने पर सहमत हुआ। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित आलमारी में लॉक लगाकर रखवाया गया। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम को रिश्वती राशि 10,000रु की व्यवस्था कर तुरंत एसीबी कार्यालय कोटा देहात आने की हिदायत कर रिश्वती राशि लाने हेतु रवाना किया गया। समय 01.30 पी.एम. पर श्री विशेष कानि. 585 को नगर निगम कोटा उत्तर के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 01.35 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम मय रिश्वती राशि 8,000रु उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास 8000रु की ही व्यवस्था हो पाई है। समय 02.28 पी.एम. पर श्री विशेष कानि. 585 मय इस कार्यालय द्वारा जारी तहरीर तथा उपायुक्त, नगर निगम कोटा द्वारा जारी पत्र 7457 दिनांक 18.08.2023 जिस पर श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि कुमार डागर, कनिष्ठ सहायक का नाम तथा मोबाईल नं. अंकित हैं, को लेकर व दो स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि कुमार डागर कनिष्ठ सहायक के कार्यालय में उपस्थित आये, जिनका परिचय परिवादी से करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 2.32 पी.एम. पर श्री असलम खान सउनि द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं को कार्यालय के लैपटॉप लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ताओं में परिवादी श्री अब्दुल कलाम ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तीसरी

आवाज श्री कृष्ण कांत सक्सेना पी.ए. आर.टी.ओ. कोटा तथा श्री अरविंद सिंह, परिवहन निरीक्षक (कार्यवाहक डीटीओ) की होना पहचान की। चूंकि आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक ने परिवादी को रिश्वती राशि लेकर बुलाया है। अतः समयाभाव होने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताऐं पृथक से मुर्तिब की गई। समय 02.50 पी.एम. मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री अब्दुल कलाम ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 16 नोट कुल आठ हजार रूपये निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. स.	नोट	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2GE288218
2	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2ML074000
3	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8HQ618707
4	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1KS637865
5	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5HW711127
6	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3FU030644
7	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8PT000224
8	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3MA840962
9	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0BH438672
10	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0CC718818
11	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0TU317461
12	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1EW134154
13	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9EW509506
14	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3SF928352
15	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VA719120
16	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7TF584099

श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री रवि कुमार डागर से परिवादी श्री अब्दुल कलाम की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों में से श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की साईड की दांयी जेब में में रखवाए गए। एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी जरिये श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार व प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाले कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पेंट की साईड की बांयी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। समय 03.15 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम व श्री असलम खान सउनि को परिवादी की स्कूटी से आगे–आगे

आर.टी.ओ. कार्यालय डीसीएम रोड कोटा के लिए रवाना कर, श्री नरेश कानि.144, श्री पवन कुमार कानि. 272, को कार्यालय की सरकारी मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री विशेष कुमार 585, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रवि कुमार डागर तथा श्री देवेश गुर्जर के मय लैपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स प्राईवेट कार से आरटीओ कार्यालय, डीसीएम रोड कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 3.24 पी.एम. पर मन उपअधीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान मय प्राईवेट कार आरटीओ कार्यालय डीसीएम रोड कोटा से थोडा पहले पहुंचा जहां पूर्व के रवानाशुदा श्री पवन कुमार कानि. 272, श्री नरेश कुमार मय सरकारी मोटर साईकिल तथा परिवादी श्री अब्दुल कलाम तथा श्री असलम खान सउनि मय परिवादी की स्कूटी उपस्थित मिले। समय 03.26 पी.एम. पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर मुनासिब हिदायत कर आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक को रिश्वती राशि देने हेतु परिवादी को रवाना किया तथा परिवादी को हिदायत की आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी स्टाफ, आरोपीगण के कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु मुकीम हुआ। समय 03.50 पी.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा परिवादी श्री अब्दुल कलाम बिना कोई ईशारा किए आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक कुछ देर पहले ही कार्यालय से निकल गया है। आरोपी श्री राकेश मीणा कार्यालय में ही उपस्थित है, जिसने मुझसे रिश्वती राशि भी मांगी परंतु मैंने उसे रिश्वती राशि नही दी क्योंकि मैं आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक को भी रिश्वती राशि देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मौका देखकर मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर लिया था तथा आपके पास आ गया। इस पर परिवादी को समझाईश की गई कि आपको पूर्व में भी समझाया था कि आरोपी परिवहन निरीक्षक, श्री राकेश मीणा या विमल (गार्ड) जो भी मिले उसे रिश्वती राशि दे देना। इस पर परिवादी ने कहा कि मैं आरोपी अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक को भी रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूं, इसलिए रिश्वती राशि राकेश मीणा व विमल (गार्ड) को नही दी। इस पर डी.वी.आर. को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। समय 04.00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जर्ये मोबाईल सम्पूर्ण हालात श्रीमति प्रेरणा शेखावत अति. पुलिस अधीक्षक को अर्ज किए गए तथा मागदर्शन चाहा तो उन्होने मुख्य आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक से रिश्वत सम्बंधी लेन–देन की वार्ता करवाई जाकर अग्रिम कार्यवाही करने के व उसके कार्यालय में आने का इन्तजार करने के निर्देश प्रदान किए। इस पर परिवादी को हिदायत की, कि आरापी अरविंद सिंह के कार्यालय आने पर तुरंत मन उप अधीक्षक को बताए परिवादी को अपने कार्यालय में रवाना कर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक के वापस कार्यालय आने के इन्तजार में मुकीम हुआ। समय 04.50 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया, परिवादी ने बताया कि श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक कार्यालय में अभी तक नही आए हैं तथा आज शुक्रवार है, हो सकता है वो जयपुर निकल गए हो, अब उनके कार्यालय आने की कोई संभावना नही है। अब आरोपीगण जब भी मुझसे रिश्वती राशि की मांग करेंगे मैं आपको जर्ये मोबाईल सूचित कर दूंगा। श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी मुझसे शेष 5,000रु रिश्वती राशि की मांग नही कर रहा है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार डागर से रिश्वती राशि परिवादी की पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशि को निकलवाया जाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाया गया। परिवादी श्री अब्दुल कलाम को मुनासिब हिदायत कर वहीं छोडा गया तथा मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवेट वाहन, मय सरकारी मोटर साईकिल, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, रिश्वती राशि, डीवीआर आदि को लेकर एसीबी चौकी कोटा देहात के लिए रवाना हुआ। समय 05.00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रवि कुमार डागर, श्री देवेश गुर्जर मय एसीबी स्टाफ, प्राईवेट कार, सरकारी मोटर साईकिल एवं ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, रिश्वती राशि, डीवीआर आदि को लेकर एसीबी चौकी कोटा देहात पहुंचा। रिश्वती राशि व डी.वी.आर. को आलमारी में ताला लगाकर सुरखित रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 25.08.2023 समय 12.18 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम ने अपने मोबाईल नम्बर 9928665972 से श्री असलम खान सउनि के मोबाईल नम्बर 9269529798 पर व्हाट्स एप्प कॉल कर मन उप अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री अरविंद सिंह डी.टी.ओ. ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया था तथा मुझसे रिश्वती राशि मांगी थी और कहा था कि आपने अभी तक राकेश को रिश्वती राशि क्यों नही दी। इस पर मैने उन्हे लंच के बाद रिश्वती राशि देने हेतु कहा है। उन्होने मेरे बने हुए कार्ड (लाईसेंस कार्ड) भी अपने पास रख लिए हैं तथा मांगने पर पहले रिश्वती राशि देने की कहते हैं। आज शुक्रवार है और आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक छुट्टियों में अपने घर जाता है वह रिश्वत राशि लेकर घर जाना चाहता है। इस पर परिवादी को समझाईश की गई तथा लंच के बाद आरोपीगण के सीट पर बैठते ही जर्ये मोबाईल अथवा कार्यालय आकर मन उपअधीक्षक

को सूचित करने की हिदायत की गई। समय 12.40 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि डागर कनिष्ठ सहायक, नगर निगम कोटा उत्तर को जर्ये मोबाईल शीघ्र एसीबी चौकी आने हेतु पाबंद किया गया। समय 1.30 पी.एम. पर तलविदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि डागर कनिष्ठ सहायक, नगर निगम कोटा उत्तर एसीबी कार्यालय उपस्थित आए। दोनो स्वतंत्र गवाहान को हालात से अवगत करवाया गया। समय 3.37 पी.एम पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम के मोबाईल नम्बर 9928665972 से श्री असलम खान सउनि के मोबाईल नम्बर 9269529798 पर व्हाट्स एप्प कॉल आया तथा परिवादी ने मन उप अधीक्षक को बताया कि आरोपीगण अपनी–अपनी सीट पर बैठे हैं, आप लोग आ जाइए। इस पर कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखी गई रिश्वती राशि 8,000रु जो सफेद लिफाफें में रखी थी, को आलमारी से निकलवाया जाकर श्री रवि कुमार डागर स्वतंत्र गवाह के पास रखवाया गया तथा श्री रवि कुमार डागर को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि को अनावश्यक नही छुए। समय 3.45 पी.एम. पर श्री पृथ्वीराज मीणा पुलिस निरीक्षक व श्री नरेश कानि. 144 को कार्यालय की सरकारी मोटर साईकिल से आर.टी.ओ. कार्यालय डीसीएम रोड कोटा के लिए रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री रवि कुमार डागर क.स. मय रिश्वती राशि, श्री देवेश गुर्जर क.स., श्री असलम खान सउनि मय लैपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स, डीवीआर प्राईवेट कार से आरटीओ कार्यालय, डीसीएम रोड कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 3.55 पी.एम. पर मन उपअधीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता मय प्राईवेट कार, आरटीओ कार्यालय डीसीएम रोड कोटा से थोडा पहले पहुंचा, जहां परिवादी श्री अब्दुल कलाम उपस्थित मिला। समय 04.03 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार डागर से रिश्वती राशि को सफेद लिफाफे से निकलवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाया गया, परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि को अनावश्यक न छुए आरोपीगण के मांगने पर ही रिश्वती राशि उन्हे दे तथा परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर मुनासिब हिदायत कर आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक अथवा राकेश मीणा या विमल (गार्ड) को रिश्वती राशि देने हेतु रवाना किया। परिवादी को हिदायत की आरोपीगण में से किसी के भी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ, आरोपी के कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु मुकीम हुआ। समय 4.15 पी.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा परिवादी श्री अब्दुल कलाम बिना कोई ईशारा किए आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया तथा बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर मैं डीटीओ श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक के कक्ष में गया तो श्री राकेश मीणा भी उनके कक्ष में ही उपस्थित था, मैने उन दोनो से रिश्वती राशि के सम्बंध में बात की तो श्री अरविंद सिंह डीटीओ ने थोडा झल्लाकर कहा दो दो, पांच दो, आठ दो क्या मतलब है मैने आपको क्या बोला आपस की बात है, यहां मेरे पास आकर बैठ के बात करते हो तथा शुक्रवार होने के कारण बाकी काम सोमवार को करने की कहकर निकल गए। वही उपस्थित श्री राकेश मीणा से मैने पूछा क्या करना है, मेरे एक सौ पैंतीस कार्ड भी रख लिए आप लोगों ने इस पर राकेश मीणा ने कहा कि मुझे ला के दे दो पैसे मैं साहब से कह दूंगा मेरे पास आ गए दस। परंतु श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक निकल गए थे, इसलिए मैने श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वती राशि नही दी तथा रवाना होकर आपके पास आ गया। मौका देखकर मैने डीवीआर के बंद कर लिया था। मैं आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक को भी रिश्वती राशि देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। इस पर डी.वी.आर. को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। इस पर सम्पूर्ण हालात श्रीमति प्रेरणा शेखावत अति. पुलिस अधीक्षक को अर्ज कर निर्देश प्राप्त किए गए। परिवादी श्री अब्दुल कलाम को समझाईश की गई तो परिवादी ने बताया कि आरोपी अरविंद सिंह शुक्रवार होने से जयपुर निकल गया है तथा अब वह आज कार्यालय नही आएगा तथा सोमवार दिनांक 28.08.23 को ही कार्यालय आएगा। मैं आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि की मांग करने पर आपको जर्ये मोबाईल सूचित कर दूंगा। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार डागर से परिवादी की पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशि को निकलवाया जाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाया जाकर श्री रवि कुमार डागर के पास ही सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी श्री अब्दुल कलाम को दिनांक 26.08.23 को समय 10.00 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर वहीं छोडा गया तथा मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, रिश्वती राशि, डीवीआर आदि को लेकर एसीबी चौकी कोटा देहात के लिए रवाना हुआ। समय 05.05 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान दोनो स्वतंत्र गवाहान, मय एसीबी स्टाफ, मय प्राईवेट कार मय सरकारी मोटर साईकिल मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, रिश्वती राशि, डीवीआर आदि को लेकर एसीबी चौकी कोटा देहात पहुंचा। रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार डागर से प्राप्त कर रिश्वती राशि व डी.वी.आर. को आलमारी में ताला लगाकर सुरखित रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 26.08.2023 को प्रात 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 26.08.2023 समय 10.15 ए.एम. पर तलविदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि डागर कनिष्ठ सहायक, नगर निगम कोटा उत्तर तथा परिवादी श्री अब्दुल कलाम एसीबी कार्यालय उपस्थित आए। समय 10.20 ए.एम. पर कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखवाए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकाला जाकर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता प्रथम को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान सउनि द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी की होना पहचान की। गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम मेरे निर्देशन में श्री असलम खान सउनि से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.25 ए.एम. पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता द्वितीय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान सउनि द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी हाल पी.ए. आर.टी.ओ. कोटा की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय मेरे निर्देशन में श्री असलम खान सउनि से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.15 पी.एम. पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता तृतीय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान सउनि द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक (कार्यवाहक डी.टी.ओ.कोटा) की तथा तीसरी आवाज श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय मेरे निर्देशन में श्री असलम खान सउनि से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 1.05 पी. एम. पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन–देन प्रयास, रिकार्ड लेन–देन प्रयास वार्ता प्रथम को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान सउनि द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी की होना पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान सउनि से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 1.45 पी.एम. पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन–देन प्रयास, रिकार्ड लेन–देन प्रयास वार्ता द्वितीय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान सउनि द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक (कार्यवाहक डी.टी.ओ.कोटा) की तथा तीसरी आवाज श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी की होना पहचान की। गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय मेरे निर्देशन में श्री असलम खान सउनि से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 2.40 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि डागर कनिष्ठ सहायक, नगर निगम कोटा उत्तर को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 01.09.2023 समय 02.09 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम के मोबाईल नम्बर 9928665972 से श्री असलम खान सउनि के मोबाईल नम्बर 9269529798 पर व्हाट्स एप्प कॉल आया तथा परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री अरविंद सिंह डी.टी.ओ. अपने कक्ष में उपस्थित है तथा आरोपी श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यालय में ही उपस्थित है, आज शुक्रवार है तथा ये मुझसे रिश्वती राशि की मांग कर सकते हैं क्योंकि आरोपी श्री अरविंद सिंह डी. टी.ओ. शनिवार तथा रविवार की छुट्टी होने के कारण अपने घर जयपुर जाता है। इस पर परिवादी को समझाईश की तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को शीघ्र कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। समय 2.30 पी.एम. पर तलविदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि डागर कनिष्ठ सहायक, नगर निगम कोटा उत्तर एसीबी कार्यालय उपस्थित आए। दोनो स्वतंत्र गवाहान को हालात से अवगत करवाया गया। कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखी गई रिश्वती राशि 8,000रु जो सफेद लिफाफें में रखी थी, को आलमारी से निकलवाया जाकर श्री रवि कुमार डागर स्वतंत्र गवाह के पास लिफाफे सहित रखवाया गया तथा श्री रवि कुमार डागर को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि को अनावश्यक नही छुए। समय 02.42 पी.एम. पर श्री पृथ्वीराज मीणा पुलिस निरीक्षक व श्री गिरिराज कानि 387 को कार्यालय की सरकारी मोटर साईकिल से आर.टी.ओ.

कार्यालय डीसीएम रोड कोटा के लिए रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रवि कुमार डागर मय रिश्वती राशि, श्री देवेश गुर्जर, श्री असलम खान सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 272 मय लैपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स, रिश्वती राशि, डीवीआर सरकारी बोलेरो मय चालक श्री विशेष कुमार कानि. 585 आरटीओ कार्यालय, डीसीएम रोड कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 2.53 पी.एम. पर मन उपअधीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान मय सरकारी वाहन बालेरो आरटीओ कार्यालय डीसीएम रोड कोटा से थोडा पहले पहुंचा, जहां परिवादी श्री अब्दुल कलाम मय स्वयं की स्कूटी उपस्थित मिला तथा बताया कि मैं कार्यालय से ही आ रहा हूं, अभी श्री अरविंद सिंह कार्यवाहक डी.टी.ओ. तथा श्री राकेश मीणा के कमरें में कुछ लोग बैठे हैं वो उन लोगो के सामने अभी मुझसे रिश्वती राशि नही लेगें, उन लोगो के जाते ही मैं आपके पास आ जाउंगा। इस पर परिवादी को हिदायत कर रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान अपनी उपस्थिति छुपाते हुए वहीं मुकीम हुआ। समय 03.35 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम आरटीओ कार्यालय डीसीएम रोड कोटा से थोडा पहले मन् उप अधीक्षक के पास अपनी स्कूटी से उपस्थित आया तथा बताया कि अब श्री अरविंद सिंह कार्यवाहक डी.टी.ओ. तथा श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी अकेले हैं तथा मुझसे रिश्वती राशि प्राप्त कर लेंगे। समय 03.41 पी.एम. पर श्री रवि कुमार डागर के पास सफेद लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को निकलवाया जाकर श्री रवि कुमार डागर से ही परिवादी श्री अब्दुल कलाम की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाई गई तथा परिवादी को हिदायत की गई कि अनावश्यक रिश्वती राशि को नही छुए तथा आरोपीगण द्वारा मांगने पर ही रिश्वती राशि उन्हे दे। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करवाकर आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक अथवा आरोपी श्री राकेश मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वती राशि देने हेतु परिवादी को रवाना किया तथा परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता आरोपीगण के कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु मुकीम हुआ। समय 4.28 पी.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा परिवादी श्री अब्दुल कलाम बिना कोई ईशारा किए आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर हमारे कार्यालय में चला गया था, जहां श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वती राशि देनी चाही तो वह बिना कोई बात किए उठ कर चला गया, इस पर मैने थोडी देर उसका इन्तजार किया तथा उसके नही आने पर मैं श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक को रिश्वती राशि देने गया तो उन्होने भी मुझसे कोई बातचीत नही की, मुझे लगा कि वह कार्यालय से जाते समय मुझसे रिश्वती राशि लेंगे तो मैने कार्यालय में ही उनके कक्ष से निकलने का इन्तजार किया परंतु वह अपने कक्ष से निकल कर मुझसे कोई बात किए बिना ही कार्यालय से चले गए। ऐसा लगता है कि उनको मुझ पर शक हो गया है। मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर देखा तो आज दिनांक की कोई रिकॉर्डिंग नही होना पाई गई, इस सम्बंध में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैने तो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू किया था परंतु पता नही रिकॉर्डिंग क्यों नही हुई, हमारे कार्यालय से बाहर निकलकर जब मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद करना चाहा तो डीजीटल वाईस रिकॉर्डर पूर्व से ही बंद था। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार डागर से परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब में रखी रिश्वती राशि को निकलवाया जाकर एक सफेद लिफाफे में श्री रवि कुमार डागर के पास ही रखवाया गया। परिवादी को मुनासिब हिदायत कर वहीं छोडा गया । समय 4.35 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान, वाहन सरकारी बोलेरो, सरकारी मोटर साईकिल एवं ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, रिश्वती राशि, डीवीआर आदि को लेकर एसीबी चौकी कोटा देहात के लिए रवाना हुआ। समय 04.45 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान दोनो स्वतंत्र गवाहान, एसीबी स्टाफ, सरकारी बोलेरो, सरकारी मोटर साईकिल, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, रिश्वती राशि, डीवीआर आदि को लेकर एसीबी चौकी कोटा देहात पहुंचा। चूंकि अब ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना कम है, अतः श्री रवि कुमार डागर के पास सफेद लिफाफे में रखी रिश्वती राशि 8,000 को श्री गिरिराज कानि 387 को देकर मालखाने में जमा करवाया गया व डी.वी.आर. को आलमारी में ताला लगाकर सुरखित रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत कर रुकसत किया गया।

दिनांक 07.09.2023 समय 3.30 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम उपस्थित कार्यालय आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैने दिनांक 07.08.2023 जो प्रार्थना पत्र पेश किया था, उस बात को काफी समय हो चुका है। दिनांक 01.09.2023 के बाद श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक, श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा श्री कृष्णकांत सक्सेना, पी.ए. आर.टी.ओ. कोटा ने और न ही किसी अन्य ने मुझसे मिलकर और ना ही फोन करके रिश्वत राशि की मांग की है, ऐसा लगता है कि इन तीनो को मेरे पर शक हो गया है, अब वह मुझसे रिश्वत की राशि नही लेंगे। मेरी रिश्वत राशि मुझे लौटाई जाए, इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को तलब किया गया। समय 3.45 पी.एम. पर तलविदा दोनो स्वतंत्र

गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि डागर कनिष्ठ सहायक, नगर निगम कोटा उत्तर उपस्थित कार्यालय आए। समय 3.48 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उक्त दोनो गवाहान को पढवाया गया। दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी से मजीद दरयाफ्त करने व पेश प्रार्थना पत्र से आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभावना नही है। समय 3.50 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल कलाम द्वारा दिनांक 18.08.2023 को मन् उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात को वक्त पेशकशी सुपुर्द किये गये फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 8,000 रूपये के नोटो को मालखाने से निकलवाया जाकर नियमानुसार परिवादी श्री अब्दुल कलाम को लौटाया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी रिश्वती राशि नियमानुसार तैयार कर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 4.00 पी.एम. पर कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखवाए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बाहर निकाला जाकर श्री असलम सउनि से कार्यालय के सरकारी लैपटॉप में लगवाया गया, लेपटॉप में लाईसेंसी एन्टीवायरस संधारित है उससे उक्त डाटा को स्कैन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वाईरस/मालवेयर नही होना पाया गया। दिनांक 07.08.2023 को परिवादी श्री अब्दुल कलाम व आरोपी श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, क्षैत्रीय परिवहन कार्यालय, कोटा के मध्य हुई **रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम,** दिनांक 08.08.2023 को परिवादी श्री अब्दुल कलाम व आरोपी श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पी.ए. क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी, कोटा के मध्य रूबरू हुई **रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय**, दिनांक 18.08.2023 को परिवादी श्री अब्दुल कलाम व आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक (कार्यवाहक डी.टी.ओ.) कोटा व श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, के मध्य रूबरू हुइ **रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय,** दिनांक 18.08.2023 को परिवादी श्री अब्दुल कलाम व आरोपी श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, क्षैत्रीय परिवहन कार्यालय, कोटा के मध्य रूबरू हुई **रिश्वत लेन–देन प्रयास वार्ता प्रथम**, दिनांक 25.08.2023 को परिवादी श्री अब्दुल कलाम व आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक (कार्यवाहक डी.टी.ओ.) तथा श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, क्षैत्रीय परिवहन कार्यालय, कोटा के मध्य रूबरू हुई **रिश्वत लेन–देन प्रयास वार्ता द्वितीय** को मेरे निर्देशन में असलम खान सउनि के द्वारा छः पेन ड्राईव तैयार करवाई गई। एक पेन ड्राईव वजह सबूत न्यायालय के लिए, तीन पेन ड्राईव आरोपीगण के लिए एंव एक पेन ड्राईव एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए पृथक–पृथक कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। तैयारशुदा छः पेन ड्राईव को कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त समस्त रिकॉर्ड वार्ताओं की हैश वैल्यू निकलवाई जाकर प्रिंट लिया गया तथा उक्त प्रिंटों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर, सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल कार्यवाही की गई। शील्डशुदा पेन ड्राईवों को जमा मालखाना करवाया गया। समय 5.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि डागर कनिष्ठ सहायक, नगर निगम कोटा उत्तर तथा परिवादी श्री अब्दुल कलाम को सकुशल रुकसत किया गया।

प्रकरण के समस्त हालात से पाया गया कि परिवादी श्री अब्दुल कलाम आर.टी.ओ. कार्यालय कोटा में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित हैं, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा के लिखित आदेश क्रमांक 9692 दिनांक 31.05.23 से दुपहिया वाहनों का पंजीयन व हस्तांतरण सम्बंधी कार्य व अन्य कार्य आवंटित थे तथा आदेश क्रमांक 10819 दिनांक 31.07.23 द्वारा परिवादी के कार्यो को कम कर केवल एस.सीरीज दुपहिया वाहन स्वामित्व अंतरण, लोन चढाना, हटाना व नोका शाखा फिटनेस व लाईसेंस सम्बंधी कार्य आवंटित किए गए। परिवादी के पास दिनांक 31.07.2023 एवं उससे पूर्व के आवेदकों के 20 दुपहिया वाहनों के ट्रांसफर के फोल्डर पेंडिग थे, उक्त फोल्डरों को श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक (कार्यवाहक डी.टी.ओ.) कोटा द्वारा एप्रूवल किया जाना था, जिनके द्वारा उक्त फोल्डरों को एप्रूव करने की एवज में परिवादी से श्री राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मार्फत कुल 10,000 रु की रिश्वत् के तौर पर मांग की गई। इसी प्रकार परिवादी के पास पहले जो कार्य थे वही कार्य वापस देने एवं पूर्व में आवंटित कार्यों की एवज में श्री अर्जुन सिंह राठौड आर.टी.ओ. कोटा द्वारा उनके पी.ए. श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मार्फत 15,000रु रिश्वती राशि की मांग की गई।

दिनांक 07.08.2023 को रिश्वत संबंधित शिकायत परिवादी द्वारा श्रीमति प्रेरणा शेखावत, अति. पुलिस अधीक्षक, कोटा देहात के समक्ष उपस्थित होकर पेश की गई, जिसमें श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक द्वारा श्री राकेश मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मार्फत 10,000रु तथा श्री अर्जुन सिंह आर.टी.ओ. कोटा द्वारा श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मार्फत 15,000रु परिवादी से रिश्वत की मांग करना परिवादी द्वारा अंकित किया गया, जिस पर रिश्वत मांग का प्रथम गोपनीय सत्यापन दिनांक 07.08.2023 को करवाया गया, जिसमें आरोपी राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 10,000 रु रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टि हुई, रिश्वत मांग का द्वितीय गोपनीय सत्यापन दिनांक 08.08.2023 को करवाया गया, जिसमें आरोपी श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 10,000 रु प्राप्त किए गए तथा 5,000 रुपये बाद में लेने हेतु सहमत हुआ। रिश्वत मांग का तृतीय गोपनीय सत्यापन दिनांक 18.08.2023 को करवाया गया, जिसमें आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक द्वारा 10,000 रु रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टि हुई।

दिनांक 07.08.2023 को परिवादी श्री अब्दुल कलाम व आरोपी राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी आरोपी श्री राकेश मीणा को रिश्वती राशि 10,000 के स्थान पर पांच हजार रुपये की पेशकश करता है तो आरोपी रिश्वती राशि लेने हेतु सहमत होता है परंतु रुपये जेब में नही रखने तथा पूरे दस हजार लेने की बात कहता है। इत्यादि, जिससे आरोपी राकेश मीणा द्वारा रिश्वत् मांग करना स्पष्ट रुप से जाहिर होता है।

दिनांक 08.08.2023 को परिवादी श्री अब्दुल कलाम व आरोपी श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी आरोपी को 10,000रु रिश्वती राशि देकर गिनने हेतु कहता है जिस पर आरोपी गिनकर 10,000रु गिनकर प्राप्त करता है तथा पांच हजार रुपये बाद में लेने हेतु सहमत होता है तथा परिवादी को काम के लिए किसी का फोन कराने हेतु कहता है इत्यादि, जिससे आरोपी कृष्णकांत सक्सेना द्वारा रिश्वत् मांग करना तथा 10000रु प्राप्त करना स्पष्ट रुप से जाहिर होता है।

दिनांक 18.08.2023 को परिवादी श्री अब्दुल कलाम व आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी आरोपी से फोल्डरो को देखने हेतु कहता है तो आरोपी फोल्डर तथा पैसे (रिश्वती राशि) दोनो मंगवाता है, परिवादी फोल्डर लेकर पुनः श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक के पास जाता है तथा कहता है कि राकेश ने कहा है पहले पेमेंट करोगे तब साहब फोल्डर करेंगे इस पर आरोपी अपनी सहमति देता है तथा परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था में लगने के लिए कहता है तथा रिश्वती राशि राकेश को, गोपाल को किसी को भी देने की बात कहता है इत्यादि, जिससे आरोपी अरविंद सिंह द्वारा रिश्वत् मांग करना स्पष्ट रुप से जाहिर होता है।

दिनांक 18.08.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। परिवादी द्वारा 8000रु रिश्वती राशि की ही व्यवस्था होना बताया तथा दौराने रिश्वत लेन–देन प्रयास वार्ता प्रथम में आरोपी अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित नही था, आरोपी राकेश मीणा मिला, जिससे परिवादी द्वारा रिश्वती राशि देने हेतु कहा तो आरोपी राकेश मीणा रिश्वती राशि की मांग करता है तथा कहता है दे दोगे तो मैं दे दूंगा। परंतु परिवादी द्वारा आरोपी राकेश मीणा को रिश्वती राशि नही दी गई तथा मन उपअधीक्षक को बताया कि मैं आरोपी अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक को भी रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, इसलिए मैने राकेश मीणा को रिश्वती राशि नही दी।

दिनांक 25.08.2023 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने रिश्वत लेन–देन प्रयास वार्ता द्वितीय में आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक तथा आरोपी श्री राकेश मीणा, दोनो आरोपी परिवहन निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित थे, जहां परिवादी श्री अब्दुल कलाम आरोपी श्री राकेश मीणा से रिश्वती राशि दस हजार के स्थान पर आठ हजार दने की पेशकश करता है। इस पर आरोपी अरविंद सिंह रिश्वती राशि कम ज्यादा करने तथा स्वयं के सामने बात करने पर झल्ला जाता है तथा बाकी काम मण्डे को करने की कहकर कक्ष से बाहर चला जाता है। इस पर परिवादी आरोपी राकेश मीणा से कहता है कि क्या करना है तो आरोपी राकेश स्वयं 10,000रु रिश्वती राशि की मांग करता है तथा श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक को बताने के लिए कहता है। परंतु परिवादी आरोपी राकेश मीणा को रिश्वती राशि नही देता है तथा मन उपअधीक्षक को बताता है कि मैं आरोपी अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक को भी रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, इसलिए मैने राकेश मीणा को रिश्वती राशि नही दी।

दिनांक 01.09.2023 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, परंतु परिवादी को दिया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बंद हो जाने के कारण परिवादी तथा आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता रिकॉर्ड नही हो सकी। परिवादी द्वारा आरोपीगण श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक तथा राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वती राशि देने का प्रयास किया गया, परंतु आरोपीगण

को शक होने से परिवादी से बात नही की गई न ही रिश्वत राशि प्राप्त की गई। इसी प्रकार श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी शेष 5,000रु रिश्वत राशि के सम्बंध में परिवादी से कोई बात नही की गई। इस कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी।

दिनांक 08.08.2023 को हुई **रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय** में श्री अब्दुल कलाम वरिष्ठ सहायक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोटा (परिवादी) द्वारा आरोपी श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, से माह मई में कई काम होना तथा सभी कामों का ईमानदारी से पच्चीस हजार रुपये महीना देना बताया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि श्री अब्दुल कलाम द्वारा पूर्व में आरोपीगणों को रिश्वत के रुप में प्रतिमाह 25,000रु दिए गए।

इस प्रकार आरोपी श्री अरविंद सिंह परिवहन निरीक्षक तथा राकेश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने परिवादी श्री अब्दुल कलाम के पास पेंडिंग दुपहिया वाहनों के ट्रांसफरो के पेंडिग फोल्डरों को एप्रूव करने की एवज में 10,000रु रिश्वत राशि की मांग की गई। इसी प्रकार परिवादी के पास पहले जो कार्य थे वही कार्य वापस दिलवाने एवं पूर्व में आवंटित कार्यों की एवज में आरोपी श्री कृष्णकांत सक्सेना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा श्री अर्जुन सिंह राठौड आर.टी.ओ. कोटा के लिए 15,000रु रिश्वती राशि की मांग कर 10,000रु रिश्वत राशि प्राप्त की गई तथा 5,000रु रिश्वत राशि बाद में लेने हेतु सहमत हुआ। आरोपीगण को किसी तरह शक हो जाने के कारण आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई। इसी प्रकार आरोपी श्री अब्दुल कलाम वरिष्ठ सहायक द्वारा माह मई, 2023 में 25,000रु रिश्वत राशि आरोपीगण को देकर आरोपीगण को असम्यक लाभ पहुंचाया तथा निर्धारित समय सीमा में ब्यूरो को अवगत नही करवाकर अपराध का दुष्प्रेरण किया गया। अतः आरोपी 1– श्री अब्दुल कलाम पुत्र स्व. श्री पीर खां, जाति मुसलमान, उम्र 59 साल निवासी रुकसाना जी का मकान, रामतलाई कच्ची बस्ती, सूरजपोल गेट कोटा हाल वरिष्ठ सहायक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा का उक्त कृत्य धारा 8,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत तथा आरोपीगण 2–श्री अरविंद सिंह राठौड पुत्र श्री रणवीर सिंह राठौड, जाति राजपूत, उम्र 47 साल, निवासी प्लॉट नम्बर 17,18 चिन्कारा कॉलोनी, ग्रीन खातीपुरा एवेन्यू के पीछे, जयपुर हाल परिवहन निरीक्षक (पूर्व कार्यवाहक जि.प.अ. कोटा) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा, 3– श्री राकेश मीणा पुत्र श्री जानकी लाल मीणा जाति मीणा, उम्र 42 साल, निवासी 4,नं.318 लक्ष्मण मार्ग, सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक, कोटा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा व 4– श्री कृष्णकांत सक्सेना पुत्र स्व. श्री नारायण स्वरुप सक्सेना, जाति कायस्थ, निवासी 902, शास्त्री नगर दादाबाडी, कोटा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 120 बी भादस के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। अतः उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्व किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थोन, जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(विजय सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से आरोपी 1.श्री अब्दुल कलाम स्व. पीर खॉ हॉल वरिष्ठ सहायक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोटा के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में एवं आरोपीगण 2. श्री अरविन्द सिंह राठौड पुत्र श्री रणवीर सिंह राठौड हॉल परिवहन निरीक्षक(पूर्व कार्यवाहक जि.प.अ.कोटा) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोटा 3. श्री राकेश मीणा पुत्र श्री जानकीलाल मीणा, हॉल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोटा 4. श्री कृण्णकातं सक्सेना पुत्र स्व. नारायण स्वरूप सक्सेना, हॉल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोटा के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भादंसं में के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 286/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

2/11/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:-3002-05 दिनांक 02.11.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।